न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
91/2023	28.03.2023	19.06.2023

उनवान

1. दयाराम पुत्र फूलस जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना।

वादी।

बनाम

1. उदमीराम पुत्र दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
2. बाबूलाल पुत्र दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
3. मंजू पुत्री दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
4. विद्यादेवी पत्नी दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना .... मृतक।
5. सुमन पुत्री दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:—

1. श्री प्रमोद कुमार यादव एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाब दावा।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख.नं. 1159 वाके ग्राम कायसा तह.नीमराना को जरिये रजि0बयनामा दिनांक 18.04.1979 को मूलया पुत्र तोताराम से खरीद किया था बंदोबस्त संवत 2042 मे 1159 का नया ख.नं. 1250/0.11 कायम कर बयनामा दिनांक 18.04.1979 के आधार पर खातेदारी मिन वादी के नाम से दर्ज की गई थी। जो खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे लगातार मिन वादी के नाम दर्ज होती रही है ओर मौके पर मिन वादी काबिज काश्त है। मिन वादी के गांव कायसा मे मिन वादी दयाराम पुत्र फूलस के अलावा प्रतिवादीगण के पिता का नाम भी दयाराम पुत्र फुलस ही था। इस लिए प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का इंतकाल खोला गया तब पटवारी हल्का द्वारा गलती व लापरवाही से मिन वादी की खातेदारी के ख.नं. 1250/0.11 को भी प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी का समझ कर उसकी विरासत का इंतकाल प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकौंर्ड मे रिपित होता चला आ रहा है। जब मिन वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया था तो दिनांक 13.02.2023 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होनें कहा कि आप दुरूस्ती कराने की कार्यवाही करो हम राजीनामा दे देगे। इसलिए वादी को यह वाद पेश करना लाजिम आया है।

2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:—
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल ख.नं. 1250/0.11 ग्राम कायसा तह0 नीमराना पर प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 05 का नाम कलमजन किया जाकर जमाबंदी संवत 2065—68 एंव मौके पर कब्जाकाश्त के आधार पर उक्त ख.नं. का खातेदार मिन वादी को घोषित किया जाकर हाल राजस्व

ड अधिकारी
ना (अलवर)

रिकॉर्ड जमाबंदीयात मे मिन वादी की खातेदारी दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे।
(ख) खर्चा मुकदमा वादनीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(ग) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को डिक्री किए जाने की सहमती दी है।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे फोटोप्रति बयनामा दिनांक 18.04.1979,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042,नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2042,नकल जमाबदी संवत 2065–68,नकल इंतकाल सं0 997 दिनांक 08.09.2008,नकल जमाबंदी संवत 2069–72,नकल जमाबंदीसंवत 2072–76 पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। छाया प्रति बयनामा दिनांक 18.04.1979 से साबित है कि साबिक ख.नं. 1159 वादी दयाराम पुत्र फूसल द्वारा मूलया पुत्र तोतराम स्वमी से खरीद किया था। तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के अनुसार साबिक ख.नं. 1159 / 0.05 से हाल ख.नं. 1250 / 0.11 कायम किया गया है,नकल जमाबंदी संवत 2042 भू प्रवंध विभाग के अनुसार ख.नं. 1250 / 0.11 दयाराम पुत्र फुसल कौम अहीर की खातेदारी मे दर्ज रिकौर्ड है नकल जमाबंदी सवत 2065–68 मे भी आराजी उक्त दयाराम पुत्र फूसल की खातेदारी मे दर्ज है। नकल इंतकाल सं 997 से साबित है कि गांव मे जो दूसरा दयाराम पुत्र फूसल नाम का व्यक्ति था उसके फौत होने पर यह इंतकाल उसकी विरासत का दर्ज किया गया है जिसमे संहवन से ख0नं0 1250 को भी सामिल कर लिया गया है जबकि यह नं0 वादी की खातेदारी का था। प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि यह आराजी वादी की ही थी गलती से हमारी पिता की विरासत के इंतकाल मे गलती से दर्ज कर दि गई जिसे वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति का वादी का वाद डिक्री कर दिया जावे। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव इकबाल जवाब दावा के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। वाद वादी डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है किः–

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राज बरूवे इकवाल जवाबदावा डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 1250 / 0.11 वाकें ग्राम कायसा तह. नीमराना का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादीगण की खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

19/6/2023

मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
91/2023	28.03.2023	19.06.2023

उनवान

1. दयाराम पुत्र फूसल जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह0 नीमराना।

वादी।

बनाम

1. उदमीराम पुत्र दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
2. बाबूलाल पुत्र दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
3. मंजू पुत्री दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
4. विद्यादेवी पत्नी दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना .... मृतक।
5. सुमन पुत्री दयाराम जाति अहीर ग्राम कायसा तह0 नीमराना।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:—

1. श्री प्रमोद कुमार यादव एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाब दावा।

दिनांकः 19.06.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादी दुरूस्ती इन्द्राज बरूवे इकवाल जवाबदावा डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 1250/0.11 वाकें ग्राम कायसा तह. नीमराना का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादीगण की खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

19/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (अलवर)